26. परिणामतः, अभियुक्त सं. 1-मल्लिकार्जुन और अभियुक्त सं. 2-रवि की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 448 के अधीन दोषसिद्धि और उन पर अधिरोपित कारावास के दंडादेश की अभिपुष्टि की जाती है और अभियुक्त सं. 1 और 2 के संबंध में यह अपील खारिज की जाती है । अभियुक्त सं. 4 की दोषसिद्धि अपास्त की जाती है और उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से उसे दोषमुक्त किया जाता है । तद्नुसार, यह अपील भागतः मंजूर की जाती है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

जस.

[2020] 1 उम. नि. प. 115

शाही एंड एसोसिएट्स (मैसर्स)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[2010 की सिविल अपील सं. 3559]

8 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) – धारा 31(7)(ख) और 85 [सपठित माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) की अनुसूची 1 और उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 24, पैरा 7क] – माध्यस्थम् पंचाट – ब्याज घटाए जाने को चुनौती – जब माध्यस्थम् कार्यवाहियां स्वीकृततः 1996 के माध्यस्थम् अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् प्रारंभ हुई हों और उनका संचालन उस अधिनियम के अनुसार हुआ हो तब उन कार्यवाहियों को 1940 के

माध्यस्थम् अधिनियम की प्रथम अनुसूची के संशोधन से संबंधित उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 24 का पैरा 7क लागू नहीं होगा तथा एकल मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाहियों में 1996 के माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 31(7)(ख) के अनुसार अधिनिर्णीत ब्याज को उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम का अनुसरण करते हुए घटाना न्यायोचित नहीं होगा ।

अपीलार्थी एक रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सिविल सन्निर्माण परियोजनाओं में लगी हुई है । अपीलार्थी ने गोला पम्प हाउस से संबंधित कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के जिला गौंडा के जल-विकास प्रभाग के अधीक्षण इंजीनियर के साथ तारीख 8 जुलाई, 1993 को एक करार किया था । अपीलार्थी ने पक्षकारों के बीच करार के अधीन अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान की दर की बाबत कतिपय विवाद उद्भूत होने पर प्रत्यर्थियों पर माध्यस्थम् का अवलंब लेते हुए एक सूचना की तामील की और तारीख 11 सितम्बर, 1999 को दावा याचिका फाइल की । तारीख 12 अक्तूबर, 1999 को एकल मध्यस्थ नियुक्त किया गया था और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन तारीख 27 अक्तूबर, 1999 को कार्यवाहियां आरंभ हुईं थीं । एकल मध्यस्थ ने तारीख 24 दिसम्बर, 2001 को एक पंचाट पारित किया जिसके द्वारा अपीलार्थी को 17,86,339/- रुपए (सत्रह लाख छियासी हज़ार तीन सौ उनतालीस रुपए) की राशि अधिनिर्णीत की गई । इसके अलावा, मध्यस्थ ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनिर्णीत राशि पर पंचाट की तारीख से वास्तविक संदाय किए जाने की तारीख तक 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(ख) के अनुसार अर्थात्, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज संदेय होगा । चूंकि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 उपर्युक्त पंचाट से व्यथित थे इसलिए उन्होंने जिला न्यायाधीश, गोरखपुर के समक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 34 के अधीन सिविल प्रकीर्ण मामला फाइल किया । जिला न्यायाधीश ने मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णीत रकम को कायम रखते हुए उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 24 के पैरा 7क का अवलंब लेते हुए ब्याज की दर को 18 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 6 प्रतिशत वार्षिक कर दिया । दोनों पक्षकारों ने उपर्युक्त

निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 का एफ. ए. एफ. ओ. सं. 3728 और 2007 का 947 फाइल किया । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य अंतिम निर्णय और आदेश द्वारा दोनों अपीलों को खारिज कर दिया है । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि जिला न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 24 के पैरा 7क का अवलंब लेते हुए ब्याज की दर को 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष से घटाकर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष करके सही किया है । अपीलार्थी ने ब्याज के घटाए जाने को प्रश्नगत करते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 तारीख 22 अगस्त, 1996 से प्रवर्तन में आया है । 1996 के अधिनियम की धारा 85 द्वारा माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंधों को अभिव्यक्ततः निरसित कर दिया गया है । इस प्रकार, 1996 का अधिनियम ऐसी सभी माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू होगा जो उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में आने पर या उसके पश्चात् प्रारंभ हुई हैं । उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 24 का पैरा 7क 1940 के माध्यस्थम् अधिनियम की पहली अनुसूची का एक संशोधन था । यह संशोधन 1976 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 57 द्वारा पुरःस्थापित किया गया था । माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंध, जिनके अंतर्गत राज्य संशोधन भी है, 1996 के अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पश्चात् प्रारंभ की गई कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे । 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(ख), 2016 के अधिनियम सं. 3 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व, जो 23 अक्तूबर, 2015 से प्रवर्तन में आया, इस मामले के प्रयोजनार्थ सुसंगत है और इसके द्वारा मध्यस्थ को पंचाट से पूर्व और पंचाट के पश्चात् ब्याज अधिनिर्णीत करने के लिए सशक्त किया गया है । 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(ख) में स्पष्ट रूप से यह आदिष्ट है कि मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णीत रकम पर ब्याज की दर के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट निदेश न दिए जाने की दशा में, ऐसी रकम पर पंचाट की तारीख से संदाय की तारीख तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज संदेय होगा । चूंकि माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 को 1996 के अधिनियम की धारा 85 द्वारा निरसित

कर दिया गया है इसलिए माध्यस्थम् अधिनियम की अनुसूची, जिसके अंतर्गत राज्य संशोधन भी है, निरसित हो गई है । धारा 85 की उपधारा (2)(क) में एकमात्र इस अपवाद का उपबंध किया गया है कि जहां कोई कार्यवाही तब आरंभ हो गई थी जब 1940 का माध्यस्थम् अधिनियम प्रवर्तन में था और वह कार्यवाही 1996 के अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पश्चात् भी जारी थी और उसके सभी पक्षकार 1940 के पुराने अधिनियम को लागू करने के लिए सहमत थे । अतः, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंध, जिसके अंतर्गत राज्य संशोधन, अर्थात् उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 24 का पैरा 7क भी है, 1996 के अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पश्चात् प्रारंभ की गई कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे । (पैरा 9, 10 और 11)

वर्तमान मामले में, यद्यपि करार 1996 के अधिनियम के प्रवर्तन में आने की तारीख से पहले का था तथापि, कार्यवाहियां, स्वीकृततः, 27 अक्तूबर, 1999 को प्रारंभ हुई थीं और उनका संचालन 1996 के अधिनियम के अनुसार हुआ था । यदि ऐसा है तो उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 27 का पैरा 7क प्रस्तुत मामले को लागू नहीं होगा । चूंकि मध्यस्थ द्वारा अनुदत्त ब्याज की दर 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(ख) के अनुसार है इसलिए उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश द्वारा उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम का अनुसरण करते हुए ब्याज की दर को घटाना न्यायोचित नहीं था । (पैरा 12)

सिविल अपीली अधिकारिता : 2010 की सिविल अपील सं. 3559.

2007 के आदेश सं. 3728 से उद्भूत प्रथम अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 5 दिसम्बर, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सुश्री कोमल मुन्ध्रा, सर्वश्री सौरभ अग्रवाल और अभिजीत सेनगुप्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से — सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अपर महाधिवक्ता, सर्वश्री आशुतोष कुमार शर्मा, राजीव दूबे, विवेक शर्मा और कमलेन्द्र मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर ने दिया ।

न्या. नज़ीर – मैसर्स शाही एंड एसोसिएट्स ने 2007 के एफ. ए. एफ. ओ. सं. 3728 और 2007 के 947 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित तारीख 5 दिसम्बर, 2007 के उस सामान्य अंतिम निर्णय और आदेश को आक्षेपित करते हुए यह अपील फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ के पंचाट को कायम रखा है । तथापि, उसने उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) अधिनियम, 1976 (जिसे संक्षेप में 'उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम' कहा गया है) की धारा 24 के पैरा 7क का अवलंब लेते हुए, मध्यस्थ द्वारा यथा-अधिनिर्णीत 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष के कानूनी ब्याज को घटाकर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया है । अपीलार्थी ने इस अपील में ब्याज घटाए जाने को प्रश्नगत किया है ।

2. अपीलार्थी एक रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सिविल सन्निर्माण परियोजनाओं में लगी हुई है । अपीलार्थी ने गोला पम्प हाउस से संबंधित कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के जिला गौंडा के जल-विकास प्रभाग के अधीक्षण इंजीनियर के साथ तारीख 8 जुलाई, 1993 का एक करार किया था । अपीलार्थी ने पक्षकारों के बीच करार के अधीन अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान की दर की बाबत कतिपय विवाद उद्भूत होने पर प्रत्यर्थियों पर माध्यस्थम् का अवलंब लेते हुए एक सूचना की तामील की और तारीख 11 सितम्बर, 1999 को दावा याचिका फाइल की । श्री बी. एम. अरोड़ा को तारीख 12 अक्तूबर, 1999 को एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे संक्षेप में '1996 का अधिनियम' कहा गया है) के अधीन तारीख 27 अक्तूबर, 1999 को कार्यवाहियां आरंभ हुईं ।

3. एकल मध्यस्थ ने तारीख 24 दिसम्बर, 2001 को एक पंचाट पारित किया जिसके द्वारा अपीलार्थी को 17,86,339/- रुपए (सत्रह लाख छियासी हज़ार तीन सौ उनतालीस रुपए) की राशि अधिनिर्णीत की गई । इसके अलावा, मध्यस्थ ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनिर्णीत राशि पर पंचाट की तारीख से वास्तविक संदाय किए जाने की तारीख तक

1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(ख) के अनुसार अर्थात्, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज संदेय होगा । पंचाट का प्रवर्तनशील भाग निम्नलिखित रूप में है :-

> "पूर्वोक्तानुसार, याची कुल 17,86,339/- रुपए (केवल सत्रह लाख छियासी हजार तीन सौ उनतालीस रुपए) की रकम प्राप्त करने के लिए हकदार हो जाता है और याची को यह रकम अधिनिर्णीत की जाती है ।
>
> पंचाट की तारीख से संदाय किए जाने की वास्तविक तारीख तक 17,86,339/- रुपए पर, जो कि घोषित पंचाट की रकम है, उस दर पर, जो कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31(7)(ख) के उपबंधों में दी जाती है, ब्याज भी संदेय होगा । दोनों पक्षकार माध्यस्थम् से संबंधित अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।"

4. चूंकि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 उपर्युक्त पंचाट से व्यथित थे इसलिए उन्होंने जिला न्यायाधीश, गोरखपुर के समक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 34 के अधीन 2002 का सिविल प्रकीर्ण मामला सं. 5 फाइल किया । जिला न्यायाधीश ने मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णीत रकम को कायम रखते हुए उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 24 के पैरा 7क का अवलंब लेते हुए ब्याज का दर को 18 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 6 प्रतिशत वार्षिक कर दिया ।

5. दोनों पक्षकारों ने, तारीख 28 अक्तूबर, 2006 के उपर्युक्त निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 का एफ. ए. एफ. ओ. सं. 3728 और 2007 का 947 फाइल किया । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य अंतिम निर्णय और आदेश द्वारा दोनों अपीलों को खारिज कर दिया है । उच्च न्यायालय ने आदेश के दौरान यह मत व्यक्त किया कि जिला न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 24 के पैरा 7क का अवलंब लेते हुए ब्याज का दर को 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष से घटाकर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष करके सही किया है ।

6. अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी है कि माध्यस्थम् कार्यवाहियां 1996 के अधिनियम के अधीन 27 अक्तूबर, 1999 को प्रारंभ हुई थीं और माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंध

पक्षकारों के बीच चल रही कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे । उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम राज्य का एक संशोधन था जिसके द्वारा माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की पहली अनुसूची में पैरा 7क पुरःस्थापित किया गया था । चूंकि माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 को 1996 के अधिनियम की धारा 85 के अधीन निरसित कर दिया गया है इसलिए माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की अनुसूची भी निरसित हो जाती है और पैरा 7क अप्रचलित हो गया है । अतः, मध्यस्थ ने 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(ख) के अधीन 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज अधिनिर्णीत करके सही किया है । जिला न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय ने निरसित उपबंध का अवलंब लेकर और कानूनी रूप से अनुज्ञेय ब्याज की दर को घटाकर गलत किया है ।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णयों को न्यायोचित ठहराने की ईप्सा की है ।

8. हमने न्यायालय के समक्ष विद्वान् काउन्सेल द्वारा दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है ।

9. 1996 का अधिनियम 22 अगस्त, 1996 से प्रवर्तन में आया है । 1996 के अधिनियम की धारा 85 द्वारा माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंधों को अभिव्यक्ततः निरसित कर दिया गया है । इस प्रकार, 1996 का अधिनियम ऐसी सभी माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू होगा जो उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में आने पर या उसके पश्चात् प्रारंभ हुई हैं । उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 24 का पैरा 7क 1940 के माध्यस्थम् अधिनियम की पहली अनुसूची का एक संशोधन था । यह संशोधन 1976 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 57 द्वारा पुरःस्थापित किया गया था । माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंध, जिनके अंतर्गत राज्य संशोधन भी है, 1996 के अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पश्चात् प्रारंभ की गई कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे ।

10. 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(ख), 2016 के अधिनियम सं. 3 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व, जो 23 अक्तूबर, 2015 से प्रवर्तन

में आया, इस मामले के प्रयोजनार्थ सुसंगत है और इसके द्वारा मध्यस्थ को पंचाट से पूर्व और पंचाट के पश्चात् ब्याज अधिनिर्णीत करने के लिए सशक्त किया गया है । इस धारा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, अधिनिर्णीत रकम पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज संदेय होगा, जैसा कि नीचे उद्धृत किया गया है:-

> "31. माध्यस्थम् पंचाट के प्ररूप और अंतर्वस्तु –
>
> (7)(क) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न पाया जाए, जहां और जहां तक कि कोई माध्यस्थम् पंचाट धन के संदाय के लिए है, माध्यस्थम् अधिकरण, उस राशि में, जिसके लिए पंचाट दिया गया है, संपूर्ण धन पर या उसके किसी भाग पर, वह तारीख जिसको पंचाट दिया गया है, के बीच की संपूर्ण अवधि या उसके किसी भाग के लिए ऐसी दर से जो वह ठीक समझे, ब्याज सम्मिलित कर सकेगा ।
>
> (ख) उस राशि पर, जिसका संदाय किए जाने का माध्यस्थम् पंचाट द्वारा निदेश किया गया है, जब तक कि पंचाट में अन्यथा निदेश न किया गया हो, पंचाट की तारीख से संदाय किए जाने की तारीख तक, <u>18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज संदेय होगा</u> ।"

11. 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(ख) में स्पष्ट रूप से यह आदिष्ट है कि मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णीत रकम पर ब्याज की दर के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट निदेश न दिए जाने की दशा में, ऐसी रकम पर पंचाट की तारीख से संदाय की तारीख तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज संदेय होगा । चूंकि माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 को 1996 के अधिनियम की धारा 85 द्वारा निरसित कर दिया गया है इसलिए माध्यस्थम् अधिनियम की अनुसूची, जिसके अंतर्गत राज्य संशोधन भी है, निरसित हो गई है । धारा 85 की उपधारा (2)(क) में एकमात्र इस अपवाद का उपबंध किया गया है कि जहां कोई कार्यवाही तब आरंभ हो गई थी जब 1940 का माध्यस्थम् अधिनियम प्रवर्तन में था और वह

कार्यवाही 1996 के अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पश्चात् भी जारी थी और उसके सभी पक्षकार 1940 के पुराने अधिनियम को लागू करने के लिए सहमत थे । अतः, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंध, जिसके अंतर्गत राज्य संशोधन, अर्थात् उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 24 का पैरा 7क भी है, 1996 के अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पश्चात् प्रारंभ की गई कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे ।

12. वर्तमान मामले में, यद्यपि करार 1996 के अधिनियम के प्रवर्तन में आने की तारीख से पहले का था तथापि, कार्यवाहियां, स्वीकृततः, 27 अक्तूबर, 1999 को प्रारंभ हुई थीं और उनका संचालन 1996 के अधिनियम के अनुसार हुआ था । यदि ऐसा है तो उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 27 का पैरा 7क प्रस्तुत मामले को लागू नहीं होगा । चूंकि मध्यस्थ द्वारा अनुदत्त ब्याज की दर 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(ख) के अनुसार है इसलिए उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश द्वारा उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम का अनुसरण करते हुए ब्याज की दर को घटाना न्यायोचित नहीं था ।

13. अतः, अपील सफल होती है और वह तद्नुसार मंजूर की जाती है । 2007 के एफ. ए. एफ. ओ. सं. 3728 और 947 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 5 सितम्बर, 2007 का निर्णय और 2002 के प्रकीर्ण मामला सं. 5 में गोरखपुर के जिला न्यायाधीश का तारीख 28 अक्तूबर, 2006 का आदेश उस सीमा तक अपास्त किए जाते हैं जहां तक उनका संबंध ब्याज की दर को घटाने से है । मध्यस्थ द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(ख) के अनुसार अधिनिर्णीत ब्याज प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

14. खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो.